अनवान बलराम बनाम ग्राम पंचायत नाथवाना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3.4.2025	पत्रावली पेश हुई। रेस्पोडेन्टान संख्या 3 देवीलाल गोदारा पुत्र श्री बनवारी लाल निवासी वार्ड नं. 26 बांके बिहारी कॉलोनी रतनपुरा रोड़ संगरिया ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अ.आ. 7 नियम 11 व्य.प्र.सं. इस आश्य का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी बलराम द्वारा नामान्तरण संख्या 339 चक 6 एमजेडी दिनांक 05.06.2009 के नामान्तरण को खारिज करने हेतु अपील प्रस्तुत की गई है जो धारा 145 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत नामान्तरण की अपील अवधि 3 वर्ष है जबकि प्रश्नगत अपील 15 वर्ष पश्चात् पेश की गई है जो समयवधि मे नही है एवं जिस वसीयत के आधार पर नामान्तरण हुआ है उस वसीयत की वैद्यता को किसी सिविल न्यायायल में चुनौति नही दी गई है। उक्त वसीयत रजिस्ट्रर्ड दस्तावेज है। विधि के प्रावधानों अनुसार रजिस्ट्रर्ड वसीयत को किसी सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही खारिज किया जा सकता है इसलिए प्रश्नगत अपील की कोई वैधानिकता नही है। प्रश्नगत वसीयत पर अलीलार्थी बलराम सहमति के हस्ताक्षर है। इसलिए अपीलार्थी साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपनी सहमति पर कायम रहने हेतु विबधित है ऐसी स्थिति में प्रश्नगत अपील प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी व अन्य तीनों भाई अपनी–अपनी कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक काश्त कर रहे है। उक्त अपील चक 4 एमडीवी तहसील मोहनगढ़ जिला जैसलमेर में मुझ प्रार्थी की एक मुरब्बा खातेदारी भूमि हडपने हेतु दवाब बनाने के लिए की गई है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील प्रार्थी सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत कर कथनों से इंकार किया तथा कथन किये कि प्रार्थना–पत्र की चरण सं. 1 अस्वीकार है। प्रार्थी का उक्त नामन्तरण का प्रथम बार ज्ञान दिनांक 11.09.2024 को प्रमाणित प्रति प्राप्त करने से हुआ है एवं उक्त अवधि से मौजूदा अपील अन्दर मियाद है। इसके अलावा अपील के साथ इस सम्वंध में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी श्रीमानजी समक्ष पेश है। प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 अस्वीकार है। रेस्पोडेट को	

Scanned with OKEN Scanner

भलीभांती इस तथ्य का ज्ञान है कि उक्त वसीयत क्षेत्राधिकार से बाहर नियमों के विपरित मिथ्य एवं कुटरचित तैयार कर असल के रूप में उपयोग में लायी गई है। उक्त स्थिती में प्रसगत वसीयत को निरस्त करवाने हेतू सक्षम अधिकारिता के न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र की चरण सं 3 मिथ्या होने के कारण अस्वीकार है। उक्त वसीयत संगरिया क्षेत्र की सम्पति की उपपंजीयक हनुमानगढ में बिना वसीयतकर्ता के हाजिर आये मिथ्या एवं कुटरचित तैयार कर रेस्पोडेन्ट एवं उसके अन्य भाई द्वारा स्वयं के लाभ हेतू क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निष्पादित की गई उक्त वसीयत में उपपंजीयक अधिकारी स्वयं लाभार्थी है तथा समस्त हस्ताक्षर मिथ्या व कुटरचित कर फर्जी तौर पर पंजीकरण करवाया गया है। इस सम्बध में पुलिस थाना संगरिया में धारा 420, 467, 468, 471 व 120 बी में न्यायालय के आदेश से दर्ज करवाया गया है। जिसमें अनुसंधान लम्बित है। प्रार्थाना पत्र की चरण सं. 4 अस्वीकार है। उक्त अपील का चक 4 एमडीवी की कृषि भूमि से कोई सम्बंध सरोकार नही है। प्रसंगत फर्जी वसीयत के इन्तकाल से अपीलार्थी को पुस्तैनी कृषि भूमि में अपने विरास्तन हक हिस्सा से वचित हुआ है। इसके अलावा चक 4 एमडीवी तहसील मोहनगढ जिला जैसनमेर की कृषि भूमि भी अपीलार्थी के स्वयं के कब्जाकाश्त की है।

अतिरिक्त कथन व आपत्तियां

मौजूदा प्रार्थना पत्र प्रकरण में प्रकरण में देरी करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाब दावा भी प्रस्तुत नही हुआ है। एक्त प्रार्थना पत्र में मिथ्या रूप में लगाये गये आक्षेपों का निष्कर्ष साक्ष्य उपरान्त ही तय होना है मौजूदा प्रकम पर उक्त प्रार्थना पत्र बिना जबाव व साक्ष्य देरी करने के उदेश्य से प्रस्तुत किये जाने कारण खारीज योग्य है। अपीलान्ट के पिता की दिनांक 17.05.2009 को मृत्यु हुई है तथा अगले रोज ही बिना मृत्यु प्रमाण दिनांक 18.05.2009 को कथाकथित प्रसगत नामान्तरण बिना पंचायत मिटिंग प कार्यवाही के तरदीक किये गये है। अपीलान्ट के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 25.05.2009 को जारी हुआ है। उक्त समस्त कार्यवाही का ज्ञान अपीलान्ट को अपनी माता लिछमा देवी की 18.02.2024 को मृत्यु होने एवं उसके उपरान्त रेस्पोडेन्ट व भाई द्वारा प्रार्थी की

जमीन मे फसल व ठेका राशि देने मे आना कानी करने एवं उसके उपरान्त निरन्तर गांव मे आने तथा तहकीकात करने व रिकार्ड प्राप्त करने से उक्त फर्जीवाडा व नामान्तरण का ज्ञान हुआ जिस पर प्रार्थी बिना देरी किये माननीय न्यायालय में हाजिर आया है। जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट का उक्त प्रार्थना अ.आ.7 नियम 11 सीपीसी उपरोक्त परिस्थितियों में न्यायहित मे मय खर्चा खारिज करने के कथन किये।

योग्य अधिवक्तागण पक्षकारान के तर्क सुने गये।

योग्य अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट (प्रार्थी) ने अपने तर्कों को दोहराते हुए निवेदन किया कि स्पष्टतः अपील समयावधि से बाहर जाकर प्रस्तुत की गई है। वसीयत जिसके आधार पर नामान्तरकरण भरा गया है, उसे किसी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया गया है कि अपीलार्थी बलराम के अपील पर सहमति के हस्ताक्षर है। उक्त कार्यवाही मोहनगढ में मुझ प्रार्थी की एक मुरब्बा खातेदारी हड़पने के लिए की गई है।

अप्रार्थी अपीलान्ट द्वारा जवाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपील में मियाद में छूट हेतु प्रार्थना पत्र प्रदत्त किया है। उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आता अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त कर अपील में निर्णय की प्रार्थना की।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तर्क सुने गये मुख्यतः तीन प्रमुख बिन्दुओं पर सुनवाई करनी हैः–

- क्या अपील में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मैन्टेनेबल है।
- क्या अपील समयावधि में प्रस्तुत की गई है।
- क्या सक्षम न्यायालय द्वारा वसीयत निरस्त करने से पूर्व इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार बनता है।

1. हमारी राय में प्रार्थी को यह अधिकार है कि किसी भी प्रार्थना पत्र/अपील वाद में वह अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। अतः प्रार्थना पत्र विधि में प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। सीपीसी की धारा 107 न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का प्रावधान करती है।
2. जहां तक समयावधि के बिन्दु की बात है रेस्पोन्डेन्ट द्वारा शपथ पत्र के आधार पर जबाव प्रस्तुत न होने से शपथ पत्र अपीलांट मानने योग्य है व गुणावगुण पर ही निर्णय किया जाना उचित है।

3. वसीयत सही है या गलत इसका निर्णय सक्षम न्यायालय में नियमित वाद द्वारा किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने विवेक का उपयोग कर नामान्तरकरण किया है। नामान्तरकरण एक वितीय कार्यवाही है इससे अधिकारों का सृजन नहीं होता अतः इसे हेतु सम्बधित व्यक्ति को अधिकारों की घोषणा सक्षम न्यायालय में करवानी चाहिए।

अपीलांट बलराम द्वारा वसीयत हेतु स्टाम्प लिये गये है एवं वसीयत पंजीबद्ध होने के समय सहमति के हस्ताक्षर है अपीलांट पूर्ण शिक्षित व्यक्ति है। पंजीबद्ध वसीयत की सत्यता प्रथमतः मानी जाने योग्य है। इस अवस्था में अपीलांट स्वच्छ कथन कर रहा है यह तथ्य सन्देह से परे सिद्ध नहीं होता।

अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी बिन्दु संख्या तीन न्यायालय के क्षेत्राधिकार की हद तक आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं अपील पत्रावली पर आये विभिन्न दस्तावेजों के अवलोकन मनन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने स्वच्छ हाथों से न्यायालय में अपील प्रस्तुत नही की है। अपील में आगे जबाव आदि की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः 84/2024, 85/2024, 86/2024 इस आधार पर निरस्त की जाती है कि अपीलांट सक्षम न्यायालय में चारा जोही कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। इस आदेश की प्रमाणित प्रति अन्य पत्रावलियों के साथ संलग्न करें। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner